न्यूज़ टुडे

नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं

यह निष्कर्ष **अंटार्कटिका के दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास 1991 से 2024 के बीच बार-बार आए 121 भूकंपों के आंकड़ों की जांच** से सामने आया है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **पृथ्वी के आंतरिक कोर** की बाहरी सतह उतनी ठोस नहीं है, जितनी पहले अनुमान लगाया गया था।
- ठोस आंतरिक कोर में **परिवर्तन अस्थिर-पिघले हुए बाहरी कोर के साथ परस्पर क्रिया** के कारण हो रहे हैं।
  - संभवतः इससे **आंतरिक कोर का घूर्णन प्रभावित** हो रहा है और दिन-रात की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है।
- पृथ्वी के **आंतरिक कोर का स्वतंत्र रूप से घूर्णन धीमा** होता जा रहा है।
  - पहले यह माना जाता था कि यह **मेंटल के साथ परस्पर क्रिया के कारण स्वतंत्र रूप से घूर्णन** करता है।
- **इस निष्कर्ष का महत्त्व:** यह अध्ययन पहले की धारणाओं को चुनौती देता है, जिसमें कहा गया था कि आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन केवल भूवैज्ञानिक समय (लंबे समय) में ही होते हैं।

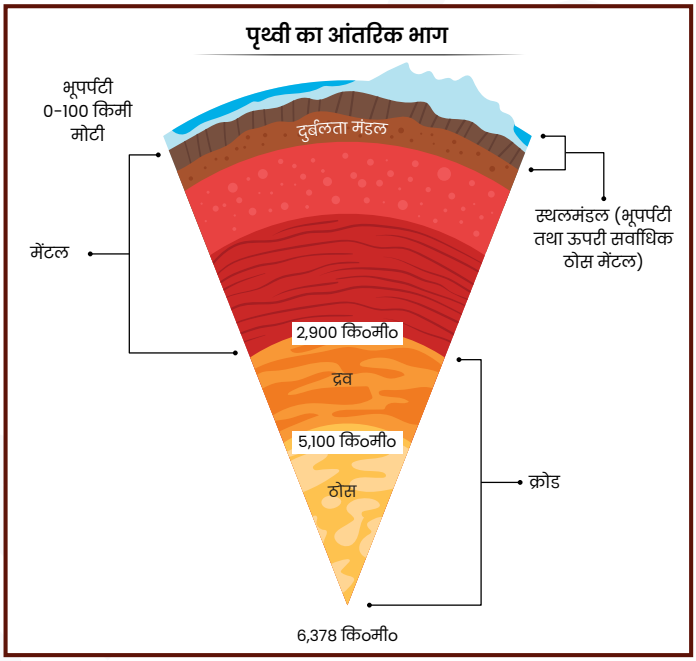

पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में

- यह पृथ्वी के भीतर अन्य ऊपरी परतों द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण **पृथ्वी की सबसे भीतरी या अंतरतम ठोस परत** है।
- **संरचना:** मुख्य रूप से **लौह और निकल** धातुओं से बना है।
- **त्रिज्या:** लगभग **1,220 किलोमीटर**।
- **तापमान:** लगभग **5,200° सेल्सियस**।
- **गुण:** उच्च तापीय और विद्युत चालकता; पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आदि को उत्पन्न करने में सहायक।

पृथ्वी की परतें

- **रासायनिक संरचना के आधार पर:**
  - **भूपर्पटी (क्रस्ट):** यह अधिकांशतः **बेसाल्ट और ग्रेनाइट** जैसी ठोस चट्टानों से बनी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है।
  - **मेंटल:** यह भूपर्पटी और कोर के बीच स्थित है। इसमें **गर्म, सघन और लौह व मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टानें** शामिल हैं।
  - **कोर:** यह **पृथ्वी की सबसे भीतरी** परत है। इसमें **तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर** होते हैं।
- **भौतिक/ यांत्रिक गुणों के आधार पर:**
  - **स्थलमंडल:** यह पृथ्वी की **सबसे बाहरी भौतिक** परत है।
  - **दुर्बलतामंडल:** यह **पृथ्वी के मेंटल का वह भाग है, जो ठोस होने के बावजूद पिघले हुए प्लास्टिक** की तरह होता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI), 2024 जारी किया

CPI **विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्रक में व्याप्त भ्रष्टाचार** के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। यह **शून्य (सबसे भ्रष्ट देश) से 100 (कोई भ्रष्टाचार नहीं)** के स्कोर पर रैंक देता है

- CPI 2024 रेखांकित करता है कि **भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को और अधिक कठिन** बना रहा है। साथ ही, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से **भ्रष्टाचार और जलवायु संकट के बीच संबंधों को तोड़ने का आग्रह** भी किया गया है।

भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को कैसे प्रभावित कर रहा है?

- यह आम लोगों के कल्याण की बजाय छोटे समूहों के हितों की पूर्ति द्वारा **महत्वाकांक्षी नीतियों को अपनाने में बाधा डालता** है।
- **शासनात्मक संरचनाओं को कमजोर** करता है, कानून के प्रवर्तन को क्षीण करता है और **पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में पारदर्शिता को कम** करता है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य अधिकांश देशों का **CPI स्कोर 50 से नीचे** है। इसके कारण यहां पर **जलवायु निधि के अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग और दुरुपयोग** की संभावना सबसे अधिक है।
- भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के कारण असमान रूप से पीड़ित **सुभेद्य आबादी के हाशिए पर जाने की स्थिति को काफी हद तक गहरा** कर देता है।
- जलवायु सम्मेलनों में अस्पष्टता बढ़ाकर और जीवाश्म ईंधन के समर्थकों का पक्ष-पोषण करके **बहुपक्षवाद की प्रभावशीलता को कमजोर** करता है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **जलवायु संबंधी प्रयासों के केंद्र में सत्यनिष्ठा को रखना:** भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन इसका समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- **जांच और सुरक्षा को बढ़ाना:** भ्रष्टाचार विरोधी निकायों को मजबूत करना एवं पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **जलवायु नीति निर्धारण प्रक्रियाओं को अनुचित प्रभाव से बचाना:** हितों के टकराव का पता लगाने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- **नागरिक सहभागिता को मजबूत करना:** जलवायु वित्त और परियोजनाओं पर जानकारी मुक्त एवं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

रिपोर्ट में प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- **विश्व की 85% आबादी** ऐसे देशों में रहती है, जिनका CPI स्कोर 50 से कम है।
- **भारत:** भारत ने **100 में से 38 अंक** प्राप्त किए हैं। इस प्रकार, यह **180 देशों में से 96वें** स्थान पर है। भारत को **2023** से एक अंक कम प्राप्त हुआ है।
- **सबसे कम भ्रष्ट: डेनमार्क,** उसके बाद **फिनलैंड और सिंगापुर**।
- **सबसे अधिक भ्रष्ट: दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला**।

भारत और फ्रांस ने फ्रांस में आयोजित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट' की सह-अध्यक्षता की

इस समिट का समापन **'लोगों और ग्रह के लिए समावेशी एवं संधारणीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'** पर वक्तव्य के साथ हुआ। यह **लोगों और ग्रह के लिए पेरिस समझौते** के अनुरूप है।

- **इसमें निम्नलिखित का आह्वान किया गया है-**
  - डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए AI तक पहुंच को बढ़ावा देना;
  - खुले, समावेशी, पारदर्शी और भरोसेमंद AI को सुनिश्चित करना;
  - AI नवाचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना और AI उपयोग को प्रोत्साहित करना।

AI एक्शन समिट के प्रमुख परिणाम

- **पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय AI के लिए गठबंधन:** इसका उद्देश्य AI को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक संधारणीय पथ पर लाने के लिए वैश्विक गति को बढ़ाना है।
  - इस गठबंधन को **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ** (ITU) के सहयोग से **फ्रांस** ने शुरू किया है।
  - **भारत इसका संस्थापक सदस्य है।**
- **करंट AI:** यह **लोक कल्याण के लिए AI को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक लोक हित साझेदारी है।** यह 'डेटा, खुलेपन और जवाबदेही' पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - इसका लक्ष्य अगले **पांच वर्षों में 2.5 बिलियन डॉलर** जुटाना है।
  - भारत एक **साझेदार देश** है।
- **साझे हित के लिए AI हेतु पेरिस चार्टर:** वैज्ञानिक प्रगति, नवाचार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए AI के खुलेपन के सिद्धांतों पर सहमति; AI डिजाइन के प्रत्येक चरण में जवाबदेही; लोक हित के लिए AI में भागीदारी और पारदर्शिता।
  - **भारत ने चार्टर को अपना** लिया है।
- AI सक्षम हथियार प्रणालियों पर मानव नियंत्रण बनाए रखने पर **पेरिस घोषणा-पत्र को अपनाया** गया। भारत ने इस **घोषणा-पत्र का समर्थन नहीं** किया।

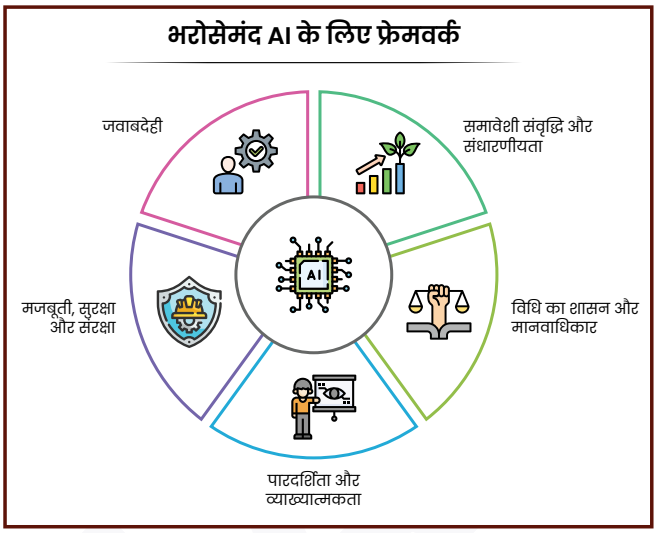

संसदीय स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

संसदीय स्थायी समिति ने **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-II** के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की सराहना की है। इसके अंतर्गत 5,87,529 गांवों में से 5,57,468 गांवों को **ODF प्लस घोषित** किया गया है।

- **ODF प्लस गांव** वे होते हैं, जो ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति को बनाए रखते हुए ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं तथा देखने में भी साफ एवं स्वच्छ होते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **2 अक्टूबर 2014** को जल शक्ति मंत्रालय ने **स्वच्छ भारत मिशन के दो उप-मिशनों में से एक** के रूप में शुरू किया था।
- **दर्जा:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-चरण II (2020-21 से 2024-25)**
  - **उद्देश्य:** 2024-25 तक ODF स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। साथ ही, सभी गांवों को ODF से ODF प्लस मॉडल में तब्दील करना।
  - **प्रमुख घटक:** व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSCs) का निर्माण करना, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) करना आदि।

समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- **लक्ष्य से कम उपलब्धियां:** पिछले पांच वर्षों के दौरान **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)** में क्रमशः केवल **35% व 57% लक्ष्य** हासिल किए गए हैं।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG)-2023:** प्रमुख ODF प्लस मापदंडों को सटीक रूप से नहीं मापा गया है।
- **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) के निर्माण हेतु सहायता:** BPL परिवारों के लिए एक IHHL के निर्माण हेतु 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई गई है।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें निधियों का कम उपयोग, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान IHHLs और CSCs के निर्माण में कमी आदि शामिल हैं।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें:

- **सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय:** यह मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समय सीमा के भीतर तेजी से लागू करने के लिए जरूरी है।
- **अतिरिक्त बजटीय संसाधन (EBR) वित्त-पोषण से बचना:** क्योंकि इससे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए, इसकी बजाय मिशन के लिए अधिक बजटीय अनुदान की मांग की जानी चाहिए।
- **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) के निर्माण हेतु पर्याप्त सहायता:** इसके लिए निर्धारित राशि को मुद्रास्फीति की वर्तमान दर के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।
- **अन्य सिफारिशें:** अधिक व्यापक और सक्षम निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए, ठोस व प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए पर्याप्त वाहन सुनिश्चित करने चाहिए।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना

2013-14 में भारत में मछली उत्पादन 95.7 लाख टन था, जो 2023-24 में लगभग दोगुना होकर 184 लाख टन से अधिक हो गया।

वैश्विक मात्स्यिकी क्षेत्रक में भारत की भूमिका

- भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
  - **प्रमुख मछली उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि।
  - **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** कुल मत्स्य उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देता है।
- वैश्विक स्तर पर भारत- **जलीय कृषि उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान** पर है, **झींगा उत्पादन में अग्रणी** है और **मछली पकड़ने के उत्पादन में तीसरे स्थान** पर है।

मात्स्यिकी क्षेत्रक में मौजूद चुनौतियां

- **पर्यावरण:** प्लास्टिक प्रदूषण, पारंपरिक मछली पकड़ने से कार्बन उत्सर्जन और जल प्रदूषण आदि।
- **आर्थिक:** मत्स्य क्षेत्रक की असंगठित प्रकृति, छोटे पैमाने पर निर्वाह हेतु मछली पकड़ना, आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, उच्च परिवहन एवं विपणन लागत आदि।
- **अन्य:** अवैध, असूचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन तथा जलवायु परिवर्तन मत्स्य संपदा से संपन्न समुद्री क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

मात्स्यिकी क्षेत्रक के संवर्धन हेतु शुरू की गई पहलें

- **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** जलीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, मात्स्यिकी प्रबंधन में सुधार करना, एकीकृत एक्वा पार्क्स स्थापित करना आदि।
  - **प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY)** प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की एक उप-योजना है। इसका उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मत्स्य क्षेत्रक में मौजूद कमियों को दूर करना है।
- **नीली क्रांति योजना:** यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन दोनों को कवर करते हुए मात्स्यिकी के विकास एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है।
- **फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF):** यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन दोनों में अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017:** यह नीति भारत के समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है।

NCAER ने भारत में महिला कार्यबल की संभावनाओं को उजागर करने पर एक शोध-पत्र प्रकाशित किया

इस शोध-पत्र में **महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) को बढ़ाने के समक्ष प्रमुख बाधाओं को उजागर** किया गया है। साथ ही, इसमें नीति-निर्माताओं के लिए भारत की **अप्रयुक्त महिला कार्यबल क्षमता का लाभ उठाने हेतु उपाय** भी प्रदान किए गए हैं।

इस शोध-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **स्थिति:** भारत की **महिला श्रम बल भागीदारी दर** 37% है। यह वैश्विक औसत 47% और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के औसत 67% से काफी कम है।
- **महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) को बढ़ाने के समक्ष प्रमुख बाधाएं:**
  - **अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियां:** टाइम यूज इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में **अवैतनिक देखभाल कार्यों में दोगुने से अधिक समय व्यतीत** करती हैं।
  - **भारत में औपचारिक रूप से पार्ट-टाइम काम करने के विकल्पों का अभाव:** भारतीय महिलाएं अनौपचारिक व अनिश्चित नौकरियों में फंस जाती हैं, जहां उन्हें न तो नौकरी की सुरक्षा मिलती है और न ही सामाजिक लाभ।
- इन दोनों समस्याओं को हल करने से महिला श्रम बल में भागीदारी दर को 6% तक बढ़ाया जा सकता है।

इस शोध-पत्र में की गई नीतिगत सिफारिशें:

- **पार्ट-टाइम काम करने को औपचारिक बनाना:** इसके लिए प्रति घंटे के अनुसार एक निश्चित स्तर पर वेतन निर्धारित करना; नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्रदान करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
- **देखभाल संबंधी अवसंरचना में निवेश करना:** सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों में बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों के लिए सस्ती देखभाल सुविधाओं में निवेश करने से निजी कंपनियों और मैक्रोइकॉनॉमिक्स को लाभ होगा।
- **देखभाल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** माता-पिता दोनों के लिए सवैतनिक पैटर्नल अवकाश, कर प्रोत्साहन जैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए।
- **फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी को अपनाना।** जैसे रिमोट वर्क और एडजेस्टेबल वर्क शेड्यूल को अपनाना चाहिए।

FLFPR बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- **कानून:**
  - **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** सवैतनिक मातृत्व अवकाश के लिए लागू किया गया है।
  - **कारखाना अधिनियम, 1948:** यह नाइट शिफ्ट में महिला श्रमिकों को काम करने की अनुमति देता है।
  - **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान करता है।
- **योजनाएं:** कौशल भारत मिशन, स्टैंड-अप इंडिया पहल, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

पीएम-दक्ष (PM-DAKSH) योजना

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने **प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना** के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

पीएम-दक्ष योजना के बारे में:

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **अवधि: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा **2021-22** से **2025-26** तक **पांच वर्ष** की अवधि के लिए अनुमोदित।
- **उद्देश्य:** सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित अल्पकालिक प्रशिक्षण, अपस्किलिंग/ री-स्किलिंग और उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
- **लक्षित समूह: अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विमुक्त जनजातियों (DNTs), सफाई कर्मचारियों सहित कचरा बीनने वालों** आदि को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **आयु मानदंड:** 18-45 वर्ष।
- **आय मानदंड:**
  - **कोई आय सीमा नहीं:** अनुसूचित जातियों, सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों और DNTs सहित अन्य पर लागू;
  - **OBCs और EWSs के लिए:** वार्षिक आय **3 लाख रुपये से कम** होनी चाहिए।

वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां (GIAHS)

लवणता के बढ़ते स्तर ने **केरल के कुट्टनाड में 'पुंचा' धान** की खेती के समक्ष गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

कुट्टनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली के बारे में:

- यह **वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)** है।
- धान की खेती **समुद्र तल से नीचे** लवणीय जल में डेल्टाई दलदलों को सूखाकर प्राप्त की गई भूमि पर की जाती है।
- इसे **तीन संरचनाओं में विभाजित** किया गया है:
  - **मछली पकड़ने और धान की खेती** के लिए उपयोग की जाने वाली **आर्द्रभूमि,**
  - **खाद्य फसलों** के रोपण के लिए उपयोग की जाने वाली **उद्यान भूमि,** और
  - **अंतर्देशीय मत्स्यन और शेल्स एकत्रित** करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जल क्षेत्र।

GIAHS के बारे में:

- ये **जीवित विरासत प्रणालियां हैं, जिनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं** जो अपने क्षेत्र के साथ जटिल जुड़ाव बनाए रखते हैं।
- **नामित:** खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा।
- **भारत में:** 3 GIAHS हैं। ये हैं-
  - कश्मीर की केसर विरासत,
  - कोरापुट पारंपरिक कृषि (ओडिशा), तथा
  - कुट्टनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली।

आरक्षण का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **आरक्षण का दावा करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है,** क्योंकि **संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A)** की प्रकृति केवल सक्षमकारी प्रावधानों की है।

- **अनुच्छेद 16(4)** राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। **अनुच्छेद 16 (4-A)** पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है।
  - ये अनुच्छेद यह अनिवार्य नहीं करते हैं कि राज्य या इसके संस्थान हर चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रदान करें।
  - हालांकि, आरक्षण न देने का राज्य का निर्णय **कुछ मात्रात्मक आंकड़ों और वैध तर्क पर आधारित** होना चाहिए।

NB-8 देश

भारत के **प्रधान मंत्री ने एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक** की।

- उन्होंने **इंडिया-नॉर्डिक-बाल्टिक प्रारूप में मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान की शुरुआत का स्वागत किया।**
  - इंडिया-नॉर्डिक-बाल्टिक वस्तुतः **भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (NB8) देशों** के बीच सहयोग है।

नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (NB-8) देशों के बारे में:

- यह एक **अनौपचारिक (गैर-संस्थागत) क्षेत्रीय सहयोग समूह है।**
- **सदस्य: नॉर्डिक देश** (डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन) तथा **बाल्टिक देश** (एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया)।
- **NB8 देशों** के साथ भारत का व्यापार बढ़कर **9.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया है। इसमें से **स्वीडन** भारत का **शीर्ष व्यापारिक साझेदार** है।

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (Gross Domestic Knowledge Product: GDKP)

हाल ही में, **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GDKP** मापन पर एक सत्र आयोजित किया।

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) के बारे में:

- GDKP का प्रतिपादन **सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो सल्पासो ने प्रोफेसर जेफ कोल** के साथ मिलकर किया था।
- यह एक मापदंड है, जो **किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न और उपयोग किए गए ज्ञान को मापता** है।
- GDKP **चार बुनियादी स्तंभों** के माध्यम से किसी राष्ट्र की संवृद्धि और **भविष्य को मापता है-**
  - **ज्ञान संबंधी मदें (Ki):** यह आधुनिक और स्थानीय विशिष्ट सांस्कृतिक ज्ञान संबंधी मदों की पहचान करता है।
  - **देश का ज्ञान उत्पादक मैट्रिक्स (CKPM):** यह सरकार, निजी संस्थानों और परिवारों द्वारा उत्पन्न ज्ञान की तुलना करता है।
  - **देश का ज्ञान उपयोगकर्ता मैट्रिक्स (CKUM):** यह उस ज्ञान का मूल्य मापता है, जिसे व्यक्तियों और निजी कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है।
  - **सीखने की लागत:** सीखने की लागत जीवन यापन की लागत के समान ही होती है, जो सरकारों को बजट संबंधी निर्णय लेने में मदद करती है।

सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **लॉटरी टिकटों के प्रचार, विपणन या बिक्री पर सेवा कर लगाने की केंद्र की याचिका को खारिज** कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि **लॉटरी पर कराधान का अधिकार पूरी तरह से राज्यों के पास है।**
- सुप्रीम कोर्ट ने **सिक्किम हाई कोर्ट के 2012 के** फैसले को बरकरार रखा, जो सार और तत्व के सिद्धांत पर आधारित था।
  - हाई कोर्ट ने पाया था कि **लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य विधान-मंडल** के पास है। ऐसा इस कारण क्योंकि, लॉटरी संयोग का खेल मानी जाती है और **सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की सूची-II में "सट्टेबाजी और जुए"** के अंतर्गत आती है।

सार और तत्व के सिद्धांत के बारे में:

- यह निर्धारित करता है कि **विधायी शक्तियों में अस्पष्टता की स्थिति में किस स्तर की सरकार (संघ या राज्य) को कानून बनाने का अधिकार है।**
- इसमें कहा गया है कि जब यह प्रश्न उठता है कि कोई विशेष कानून किस विषय से संबंधित है, तो कोर्ट उस **मामले के तत्व को देखता है।**

IRIS चिप

IIT-मद्रास और इसरो ने संयुक्त रूप से एयरोस्पेस गुणवत्ता वाले **शक्ति (SHAKTI)-आधारित सेमीकंडक्टर चिप- IRIS** का विकास और उसे सफलतापूर्वक बूट किया है। IRIS- अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी RISC-V नियंत्रक।

- प्रणालियों की **शक्ति श्रेणी** कस्टम प्रोसेसर्स के डिजाइन के लिए RISC-V पर आधारित है। RISC-V एक **ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA)** है।
  - RISC-V: रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर फाइव।
- 'शक्ति' को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा **डिजिटल इंडिया RISC-V पहल (DIRV)** के तहत समर्थन प्राप्त है।
- इसका उद्देश्य **माइक्रोप्रोसेसर आधारित उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा** देना है, जो RISC-V प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा और दृश्यता प्रदान करेंगे।

हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर

जापान के इंजीनियरों ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर विकसित किया है। इसे **रीमेई** नाम दिया गया है।

- इसे **दुनिया के छठे सबसे तेज सुपरकंप्यूटर फुगाकू** में एकीकृत किया गया है। रीमेई **20-क्यूबिट क्वांटम क्षमता** से युक्त है।
- 'रीमेई' की विशेषता यह है कि यह **ट्रैप्ड-आयन क्यूबिट्स का उपयोग** करता है। इसके विपरीत, अधिकांश क्वांटम कंप्यूटर **सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स** पर आधारित होते हैं।
  - इसमें **आवेशित परमाणुओं या आयनों को आयन ट्रैप नामक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में अलग** किया जाता है। साथ ही, उनकी **क्वांटम अवस्था को नियंत्रित करने के लिए लेजर** का उपयोग किया जाता है।
  - इससे वैज्ञानिकों को **आयनों में हेरफेर करने और उन्हें क्यूबिट्स के रूप में उपयोग करने में मदद** मिलती है। क्यूबिट्स **क्वांटम सूचना को संग्रहीत और संसाधित** करते हैं।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व: संत गुरु रविदास

हाल ही में, **संत गुरु रविदास की जयंती** मनाई गई।

संत गुरु रविदास के बारे में

- इनका जन्म **14वीं शताब्दी में वाराणसी** में हुआ था। वे **निर्गुण भक्ति आंदोलन** के भक्ति संत थे।
- उनकी शिक्षाओं में मंदिर-आधारित अनुष्ठानों को खारिज किया गया था और अपनी आजीविका जारी रखते हुए निरंकार (निराकार ईश्वर) के प्रति समर्पण की वकालत की थी।
- **उनके महत्वपूर्ण योगदान:**
  - उन्होंने **अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की व्यवस्था का विरोध** किया था।
  - अपने कार्यों में उन्होंने **बेगमपुरा** की एक कल्पना प्रस्तुत की थी। बेगमपुरा एक ऐसा समाज होगा जो **भय, शासकों, करों, जाति-आधारित पदानुक्रमों और स्थानिक प्रतिबंधों से मुक्त** होगा।
  - उनके **भक्ति गीत और कविताएं** गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं।